

कार्यालय कलेक्टर
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
जिला-नारायणपुर (छ0ग0)

क्रमांक / 1153 / मबावि / सा.वि / 2017-18

नारायणपुर, दिनांक 14.12.2017

प्रति

जिला जनसंपर्क अधिकारी
जिला-नारायणपुर

विषय:- निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित कराने बाबत।

—00—

विषयान्तर्गत वर्ष 2017-18 में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत कन्याओं की दिये जाने हेतु उपहार सामग्री का क्रय किया जाना है। अतः कृपया प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित कराने हेतु सूची अनुसार प्रस्तुत है।

टीए:- नियम संख्या:- www.narayanpur.gov.in

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला- नारायणपुर (छ0ग0)

क्रमांक / 1153 ए / मबावि / सा.वि / 2017-18

नारायणपुर, दिनांक 14.12.2017

प्रतिलिपि:-

✓ 1. एन.आई.सी जिला नारायणपुर को निविदा विज्ञप्ति अपलोड हेतु सूचनार्थ।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला- नारायणपुर (छ0ग0)

निविदा शर्तें (मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह में कन्याओं को आर्थिक सहायता के रूप में दिये जाने वाले सामग्रियों का कय):-

नारायणपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह में कन्याओं का आर्थिक सहायता के रूप में दिये जाने वाले सामग्रियों के कय हेतु प्रकाशित निविदा विज्ञापित क्रमांक 1153 दिनांक 14.12.2017 द्वारा निविदा विज्ञापित प्रकाशित कराई जाकर निविदायें आमंत्रित किया जाता है। उक्त कय हेतु मुख्य शर्तें निम्नानुसार है :-

- 1 निविदा प्रपत्र एवं शर्तें प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28.12.2017 को कार्यालयीन दिवस दोपहर 02.00 बजे तक रहेगा ।
 - 2 निविदायें सील बंद लिफाफे में दिनांक 28.12.2017 को दोपहर 03.00 बजे तक कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग जिला नारायणपुर में स्वीकार की जावेगी तथा उसी दिनांक को सायं 05.00 बजे कय समिति एवं निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के सक्षम खोली जावेगी ।
 - 3 निविदायें तीन अलग अलग लिफाफों में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदा के साथ जोड़ों को दिये जाने वाले आर्थिक सहायता सामग्री के नमूने अनिवार्य रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
- (क) प्रथम लिफाफे में निविदा भाग - 'अ' रखा जावेगा तथा निविदा शर्तें अनुसार अमानत राशि से संबंधित सावधि जमापत्र / बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारंटी आदि रखे जाकर उसे सील बंद करने के बाद लिफाफे के उपर निविदा प्रपत्र भाग 'अ' से संबंधित लिखा जाना आवश्यक होगा साथ ही प्रेषक के स्थान पर निविदाकार सील लगाकर अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेंगे। उक्त स्थिति ना पाई जाने पर निविदा मान्य नहीं की जावेगी
- (ख) द्वितीय लिफाफे में निविदा भाग - 'ब' रखा जावेगा तथा निविदा शर्तें अनुसार मुल शर्तों के अनुरूप तकनीकी एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित दस्तावेज आदि रखे जाकर उसे सील बंद करने के बाद लिफाफे के उपर निविदा प्रपत्र भाग 'ब' से संबंधित लिखा जाना आवश्यक होगा। साथ ही प्रेषक के स्थान पर निविदाकार सील लगाकर अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेंगे। उक्त स्थिति ना पाई जाने पर निविदा मान्य नहीं की जावेगी ।
- (ग) तृतीय लिफाफे में निविदा भाग - 'स' रखा जावेगा तथा निविदा शर्तें अनुसार दर रखे जा कर उसे सील बंद करने के बाद लिफाफे के उपर निविदा प्रपत्र भाग 'स' से संबंधित लिखा जाना आवश्यक होगा साथ ही प्रेषक के स्थान पर निविदाकार सील लगाकर अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेंगे। उक्त स्थिति ना पाई जाने पर निविदा मान्य नहीं की जावेगी ।
- सर्व प्रथम निविदा प्रपत्र 'अ' से संबंधित लिफाफा खोला जावेगा इसमें निविदा शर्तें अनुसार अमानत राशि जमा करने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जायेगा जिसमें मुल शर्तों के अनुरूप तकनीकी एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित समस्त शर्तों को पूर्ण करने पर ही दर वाला लिफाफा 'स' खोला जाकर निविदा स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जावेगा ।
- 4 निविदा प्रपत्र भाग 'स' जो दर से संबंधित है, के अंतर्गत दर के लिये एक कॉलम रखा गया है। उक्त कॉलम में ही दर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, यदि किसी निविदाकार द्वारा एक से अधिक दर अंकित की जाती है तो निविदा अमान्य कर दी जावेगी ।
 - 5 उक्त कय हेतु शासन द्वारा निर्धारित सभी कर प्रदायकर्ता को वहन करना आवश्यक होगा उक्त करों में विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी। और न ही कोई कारण मान्य होगा ।
 - 6 निविदादाता द्वारा पिछले 2 वर्षों का आयकर रिटर्न संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
 - 7 धरोहर राशि 30000/- रुपये होगी जो बैंक ड्राफ्ट / बैंक सावधि जमा के रूप में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी नारायणपुर के नाम पर होगी । लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है। तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त हैं, उसका परीक्षण उपरान्त शासकीय कय प्रकिया में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छूट होगी। इस आशय का प्रमाण पत्र टेन्डर के साथ देने पर ही छूट प्राप्त होगी ।

- 8 आवश्यक हुआ तो सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सेम्पल की स्पेसिफिकेशन जाँच तकनीकी विभाग /संस्था से करायी जावेगी उक्त जांच पर व्यय हुई राशि निविदाकार को वहन करना होगा । यदि सफल निविदाकार द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। तो उसकी वसूली सर्वप्रथम प्रस्तुत देयको अथवा अमानत राशि से की जावेगी इसके उपरान्त भी राशि शेष रहने की स्थिति में शेष राशि भू-राजस्व के बकाया की भांती वसूल की जावेगी ।
- 9 निविदा में प्रस्तुत मात्रा विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए क्य की जावेगी । यह अधिकार क्य समिति के पास सुरक्षित रहेगा । इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ती व दावे मान्य नहीं किये जावेंगे ।
- 10 विक्रित निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय है ।
- 11 डाक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
- 12 निविदाकार को निविदा प्रपत्र व प्रस्तुत किये जा रहे सभी दस्तावेजों पर सील लगाकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा ।
- 13 सफल निविदाकार के निविदा के साथ प्रस्तुत नमूने के अनुसार सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा । भौतिक सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है, कि प्रस्तुत नमूने के अनुसार सामग्री प्रदाय नहीं की गई है। तो अमानत राशि राजसात की जाकर शासन निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी तथा इससे शासन को जो हानि होगी उसकी वसूली निविदाकार से भू-राजस्व बकाया की भांती की जावेगी । साथ ही व्यक्ति /फर्म को काली सूची में दर्ज किया जावेगा ।
- 14 क्य समिति द्वारा प्रस्तुत निविदाओं के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने के पश्चात प्रथम एवं द्वितीय सफल निविदाओं की राशि एवं प्रस्तुत नमूने रोक़ी जाकर असफल निविदाकारों की अमानत राशि एवं प्रस्तुत नमूने वापस कर दी जावेगी । परंतु सफल प्रथम एवं द्वितीय निविदाकारों की अमानत राशि तथा प्रस्तुत नमूने प्रदाय पूर्ण होने के पश्चात् वापस किया जावेगा । अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।
- 15 निविदा के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने के उपरांत किन्ही कारणों से सामग्री क्य किया जाना संभव नहीं होता है। तो सफल निविदाकार को प्रदाय आदेश जारी करना विभाग द्वारा आवश्यक नहीं होगा । इस संबंध में कोई आपत्ती अथवा दावा मान्य नहीं किया जावेगा ।
- 16 निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने ,निविदा शर्ता में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार क्य समिति के पास सुरक्षित रहेगा । इस संबंध में कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा । इस संबंध में अंतिम निर्णय कलेक्टर जिला- नारायणपुर का होगा जो सर्वमान्य होगा । किसी भी विवाद की स्थिति में कोई भी निविदाकार विवाद का निर्णय शासन से कराने से पूर्व विवाद को न्यायालय में नहीं ले जा सकेगा ।
- 17 निविदाकार की निविदा स्वीकृति उरान्त प्रदाय आदेशानुसार सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगा । समायावधि में सामग्री प्रदाय न किये जाने के कि दशा में अमानत राशि राजसात की जाकर शासन के नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी ।
- 18 सशर्त, अस्पष्ट भरी अथवा ओवर राईटिंग वाले निविदा विचार योग्य नहीं होगी ।
- 19 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह में कन्याओं को आर्थिक सहायता के रूप में दिये जाने वाले सामग्रियों की सूची -
- 20 निविदा फर्म के साथ संलग्न परिशिष्ट A,B एवं C जिसमें सामग्री एवं दर की प्रति जोड़ा की वित्तीय सीमा प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें अलग से लिफाफ तैयार कर संलग्न करें, जिसे प्रपत्र "स" माना जायेगा ।
21. मुख्यमंत्री कन्या विवाह जोड़ों की कुल संख्या 250 होंगे तथा विवाह जोड़ों की संख्या घट या बढ़ सकता है ।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला-नारायणपुर (छ0ग0)

सारा
.....

बैंक का नाम

हस्ताक्षर सील सहित निविदाकर्ता

नाम

फर्म का नाम

पूरा पता

हैसियत

निविदा प्रपत्र – “ अ ”

(मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह में कन्याओं को आर्थिक सहायता के रूप में दिये जाने वाले सामग्रियों का क्रय)

प्रेषक ,

.....

.....

प्रति,

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला- नारायणपुर

महोदय,

1. निविदाकार फर्म का पूरा नाम एवं पता
दूरभाष / मोबाईल नम्बर संहित
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का
नाम फर्म की दशा में फर्म में हैसियत
3. फर्म का टीन नम्बर
4. फर्म का पंजीयन क्रमांक
5. अमानत राशि का विवरण :-
डिमांड ड्राफ्ट / बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारंटी / सावधि जमापत्र :-

क्रमांक

दिनांक

राशि

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम(फर्म का नाम) महिला एवं बाल विकास द्वारा जारी निविदा शर्तों को भलीभांति समझ कर शर्तों से सहमत है । मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है भ्रामक एवं त्रुटि पूर्ण जानकारी देने पर मैं/हम स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

हस्ताक्षर सील सहित निविदाकर्ता

नाम
फर्म का नाम
पूरा पता
हैसियत

निविदा प्रपत्र - " ब "

(मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह में कन्याओं को आर्थिक सहायता के रूप में दिये जाने वाले सामग्रियों का कय)
प्रेषक ,

प्रति,

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला- नारायणपुर (छ0ग0)

- 1 निविदाकार फर्म का पूरा नाम एवं पता
दूरभाष / मोबाईल नम्बर सहित
- 2 निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का
नाम फर्म की दशा में फर्म में हैसियत
- 3 फर्म / कम्पनी के नाम वाणिज्यिक कर
विभाग द्वारा जारी किया गया पंजीयन प्रमाण
पत्र / टीन न. एवं पेन नम्बर
- 4 निविदाकार / फर्म के आयकर से संबंधित
प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण मय वर्ष 2017-18
तक के समाशोधन प्रमाण पत्र सहित
- 5 निविदाकार / फर्म द्वारा प्रस्तुत की जा रही
अमानत राशि से संबंधित अभिलेख का क्रमांक
दिनांक राशि का विवरण
- 6 सक्षमता एवं अनुभव संबंधी विवरण
- 7 अन्य कोई जानकारी जो प्रस्तुत करना
आवश्यक समझा जायें
- 8 साथ में दिये गये नमूने का विवरण

विशेष टीप :-

- 1 निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28.12.2017 को अपराह्न 02.00 बजे तक, निविदाएं उसी दिन सायं 5.00 बजे खोली जायेगी ।
- 2 निविदा प्रपत्र तीन भागों में लिफाफा 'अ' 'ब' एवं 'स' के रूप में दिया जावे , प्रपत्र के प्रथम लिफाफा भाग 'अ' में निर्धारित अमानत राशि भाग 'ब' में मूलशर्तों के अनुरूप तकनीकी एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित दस्तावेज, तथा भाग 'स' में जोड़ो को दिये जाने वाले सहायता सामग्री की दर प्रस्तुत की जावे । सर्वप्रथम लिफाफा 'अ' खोला जावेगा , इसमें अमानत राशि रहने पर ही तकनीकी एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित लिफाफा 'ब' खोला जावेगा, लिफाफा 'ब' की समस्त की अर्हताएं पूर्ण करने पर ही दर वाला लिफाफा 'स' खोला जाकर निविदा स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जावेगा ।
- 3 यदि निविदा खुलने की तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है। अथवा अन्य कोई अपरिहार्य कारण से निविदा उस दिनांक को नहीं खोली जा सकी ,तो आगामी तिथि की सूचना निविदा कर्ता को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी ।
- 4 निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत /संलग्न दस्तावेजों की सूची :-
.....
.....

हस्ताक्षर सील सहित निविदाकर्ता

नाम

फर्म का नाम

पूरा पता

हैसियत

घोषणा पत्र

मैं फर्म घोषणा करता हूँ कि यदि विभाग द्वारा मुझे यह कार्य सौंपा जाता है। तो मैं निविदा की संपूर्ण शर्तें तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा शासन हित में प्रसारित समस्त निर्देशों का पालन करूंगा, मैं अनुबंध करने से सहमत हूँ मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रपत्र के साथ समस्त दस्तावेज व प्रस्तुत अभिलेखों की सम्पूर्ण जानकारी पूर्ण रूप से सही है ।

हस्ताक्षर सील सहित निविदाकर्ता / घोषणाकर्ता

नाम

फर्म का नाम

पूरा पता

हैसियत

लिफाफा (अ) में रखे जाने वाला प्रपत्र

1. फर्म का नाम :
2. फर्म का पूरा पता :
3. फर्म की ओर से निविदाकर्ता :
- का नाम एवं पद :
- दूरभाष क्रमांक :
- मोबाइल क्रमांक :
4. अमानत राशि के रूप में जमा: बैंक का नाम-
- राशि का विवरण शाखा
- बैंक ड्राफ्ट क्रमांक.....दिनांक.....

फर्म की सील एवं प्रो० के हस्ताक्षर

लिफाफा (ब) में रखे जाने वाला प्रपत्र

1. फर्म का नाम :
2. फर्म का पूरा पता :
- (ईकाई छ0ग0 में स्थापित है या नहीं)
3. फर्म की ओर से निविदाकर्ता का नाम एवं पद
- दूरभाष क्रमांक
- मोबाइल क्रमांक
4. फर्म का जिला उद्योग केन्द्र से :
- रजिस्ट्रेशन क्रमांक/दिनांक
5. फर्म का सेल्स टैक्स नंबर/टीन नम्बर
- /क्लीरयरिंग सर्टीफिकेट प्रमाण-पत्र
6. विगत 2 वर्षों में किसी 1 वर्ष का:
- आयकर रिटर्न संबंधी दस्तावेज
7. अमानत राशि के रूप में जमा बैंक:
- ड्राफ्ट क्रमांक/दिनांक
8. निविदा फार्म के साथ :
- संलग्न परिशिष्ट- **A, B एवं C** 1-.....
- अनुसार निविदा शर्त क्रमांक 21 के अंतर्गत प्रस्तुत 2-.....
- (प्रति जोड़ा वित्तीय सीमा के तहत) की जा रही 3-.....
- दरों की सामग्रियों का विवरण

फर्म की सील एवं प्रो0 के हस्ताक्षर

परिशिष्ट- ए
आभूषण की प्रस्तावित दरें
दर संबंधी लिफाफा (लिफाफा "स" में रखा जावे)
(निविदा के साथ दो नमूना/सेम्पल दिया जावे)

क्र	विवरण	नग/सेट	दर (अको में)	दर (शब्दों में)
1	ज्वेलरी सामग्री- 1 मंगलसूत्र चांदी	1 नग		
	2 बिछिया चांदी	1 जोड़ी		
	कुल योग-	250जोड़े		
2	श्रृंगार सामग्री- 1.दर्पण छोटा	1 सेट		
	2.नेलपॉलिस	1 सेट		
	3.पाउडर 200 ग्राम	1 सेट		
	4.मेहन्दी	1 सेट		
	5.वैवाहिक चूड़ी	1 सेट		
	6.बिंदी	1 पैकेट		
	7.आलता	1 सेट		
	8.कंधी	1 सेट		
	9.सिंदूर	1 सेट		
	10.श्रृंगार बाक्स (मिडियम)	1 सेट		
	11.दुल्हा-दुल्हन माला	1 सेट		
	कुल योग-	250जोड़े		

टीप-

1. ज्वेलरी सामग्री हेतु 1000/-रुपये का व्यय सीमा निर्धारित है। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक का दर मान्य नहीं की जावेगी।
2. श्रृंगार सामग्री हेतु 1000/-रुपये की व्यय सीमा निर्धारित है। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक की दर मान्य नहीं की जावेगी।

फर्म का सील एवं प्रो० के हस्ताक्षर